International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197, Impact Factor: RJIF 5.22
www.newresearchjournal.com/academic
Volume 1; Issue 3; March 2016; Page No. 40-43

भारत–पाकिस्तान सम्बन्धः द्विपक्षीय टकराव एवं समाधान

अवधेश कुमार

प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान विभाग, जगत तारन महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद।

सारांश

15 अगस्त, 1947 ई0 को ब्रिटिश इण्डिया के विभाजन के फलस्वरूप दो नए सम्प्रभु राष्ट्रों का विश्व मानचित्र के पट्ल पर उदय हो गया, किन्तु जिन परिस्थितियों में भारत व पाकिस्तान का उदय हुआ उनके आधार पर दोनों देशों में निरन्तर वैचारिक मतभेद बने रहे। दूसरे शब्दों में, ब्रिटिश इण्डिया का विभाजन हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच द्वि राष्ट्र सिद्धान्त के आधार पर हुआ था और पाकिस्तानियों की दृष्टि में भारतीय राष्ट्रवाद हिन्दूवाद पर आधारित था और पाकिस्तानी राष्ट्रवाद इस्लाम पर। दोनों एक दूसरे से मूल रूप से भिन्न हैं। अतः दोनों में ऐक्य नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अभ्युदय का प्रमुख कारण कुलीन मुस्लिम उच्च वर्ग का मानसिक भय था कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात् मुस्लिम अल्पसमुदाय पर हिन्दू नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। उनके इसी भय ने भारतीय संघ में अलगाववाद की प्रवृत्ति का बीज बोया, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत–पाक विभाजन में दोनो सम्प्रदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं का ज्यादा हाथ नहीं था क्योंकि दोनों सम्प्रदाय (हिन्दू और मुस्लिम) सदियों से एक दूसरे के साथ रहते आ रहे थे। पहले से ही मुस्लिम हिन्दू शासक के अधीन और हिन्दू मुस्लिम शासक के अधीन एक ही राज्य में शान्तिपूर्वक रहते आयें हैं। यह एक राजनीतिक जाल ही था जिसके द्वारा वास्तविक रूप में धार्मिक अलगाववाद की ओर ध्यान आकर्षित हुआ।

मूल शब्दः ब्रिटिश इण्डिया, इण्डिया, पाकिस्तान, विभाजन एवं जम्मू–कश्मीर

प्रस्तावना

पाकिस्तान की भौगोलिक सामरिक महत्ता बहुत अधिक है खासतौर से द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पाकिस्तान भू–राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक सामरिक महत्व के देश के रूप में सामने आया। भारतीय उपमहाद्वीप के परम्परागत आक्रमण पथ पर एक सम्प्रभु राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का उद्भव उसे ज्वलन्त सामरिक महत्व से युक्त करता था। क्योंकि मध्य पूर्व और खाड़ी के क्षेत्र में जो महत्ता विभाजन के पूर्व ब्रिटिश इण्डिया को प्राप्त थी वह अब पाकिस्तान को प्राप्त हुई। इतना ही नहीं जहां पश्चिमी पाकिस्तान सोवियत संघ, साम्यवादी चीन, मध्य पूर्वी (पश्चिमी एशिया) और मध्य एशिया में प्रेक्षण आधार उपलब्ध करता था, वही पूर्व पाकिस्तान (बांग्लादेश) दक्षिणी–पूर्वी एशिया, चीन सागर, बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर में प्रेक्षण आधार उपलब्ध कराता था। तात्पर्य यह है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान को भू–राजनीतिक सामरिक महत्व अति ज्वलंत महत्व का था, जिसे उन्होंने समझा और तत्कालीन अमरीकी वायुसेनाध्यक्ष हायट विहन वर्ग, निकट पूर्व दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका के प्रति सहायक राज्य सचिव हेनरी ए वायड, राज्य सचिव जॉन फास्टर डलेस और सीनेटर नोलैण्ड जैसे लोगों ने कैरो की थीसिस की भरपूर वकालत की।

भारत–पाकिस्तान मतभेदों के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी थे, जैसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और धार्मिक जिसके अन्तर्गत हमें मनोवैज्ञानिक कारक, जन सांख्यिकीय कारक, संसाधनीय कारक तथा भू–प्रादेशिक व क्षेत्रीय कारक प्रमुख रूप से दिखाई पड़ते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक पहला और मूल कारक था जिसने हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रदायिकता को जन्म दिया। वास्तव में ब्रिटिश इण्डिया का विभाजन अर्थात् भारत पाकिस्तान का पृथक होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी उसके मूल में लम्बा इतिहास छिपां था। हिन्दुओं और प्रमुख रूप से उत्तर–भारत के हिन्दुओं, के मन में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा किया गया घृणित व्यवहार बसा था, किन्तु मुसलमान भी संतुष्ट नहीं थे और वे उस सम्प्रदाय द्वारा कैसे शासित हो सकते थे जिन पर उन्होंने स्वयं शासन किया था। पाकिस्तान आन्दोलन के समय और उसके बाद भी भारत–पाकिस्तान के संबंधों में मतभेदों का प्रमुख कारण शंका और अविश्वास की भावना थी। पाकिस्तानियों को सर्वाधिक भय भारत से था। उनकी दृष्टि में भारतीय राष्ट्रवाद हिन्दूवाद पर आधारित है और पाकिस्तानी राष्ट्रवाद इस्लाम पर, दोनों राष्ट्र एक दूसरे से मूल रूप से भिन्न हैं। अतः दोनों एक सूत्र में बंधे नहीं रह सकते। मुसलमानों को भय था कि अविभाजित भाग में हिन्दू महाद्वीप के आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रभुत्व करेंगे और वे (मुसलमान) दोयम दर्जे के नागरिक होंगे। उन्होंने कांग्रेस (भारत के सत्तारूढ़ दल) द्वारा विभाजन की स्वीकारोक्ति को ब्रिटिश प्रस्थान को सुरक्षित करने हेतु कुटिल तथा अस्थाई साधन के रूप में देखा जिसके बाद भारत ज्यों ही अनुकूल अवसर देखेगा पाकिस्तान को आत्मसात कर लेगा और प्रभुत्व के लिए स्वतन्त्र होगा। दूसरे शब्दों में पाकिस्तानी विचारक तथा राजनीतिज्ञ यह भी कहते रहे कि हिन्दू राष्ट्रवादी भारत विभाजन को अभी भी हृदय से स्वीकार नहीं करते और वे अवसर प्राप्त होने पर उसे ध्वस्त कर अखण्ड भारत की पुनर्स्थापना करने का स्वप्न देखते हैं। इस तरह पाकिस्तान का सृजन एक भारी त्रृटि है, जो अब भी सुधारी जा सकती है। विभाजन से पहले और बाद में प्रमुख भारतीय नेताओं द्वारा बहुत से, विभिन्न स्थानों पर दिये गये भाषणों ने इस संदेह को अधिक दृढ़ कर दिया, तथा तत्कालीन अध्यक्ष जे0 बी0 कृपलानी ने पाकिस्तान को चेताया, ''न तो कांग्रेस न ही भातीय राष्ट्र ने अखण्ड भारत का दावा छोड़ा है।'' दूसरी ओर हिन्दू महासभा थी जो कि साम्प्रदायिक रक्तपात के पश्चात पुनर्जीवित हो उठी। लेकिन 1937 ई0 के चुनावों में महासभा की करारी हार हुईं। अतः हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं में निराशा की भावना का होना अत्यन्त स्वभाविक था महासभा के लिए अब अपनी विचारधारा को स्पष्ट रूप से सामने रखने का समय आ गया था। इसका मुख्य ध्येय अब हिन्दू धर्म तथा संस्कृति की रक्षा के साथ ही वैध साधनों द्वारा हिन्दुस्तान की पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता भी था।

वास्तव में, विभाजनोपरान्त भारत की प्रत्येक कार्यवाही को पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के लिए कठिनता उत्पन्न करने एवं उसे अवसर पाकर आत्मसात करने वाली प्रक्रिया के बढ़ते चरणों के रूप में देखा। हैदराबाद तथा जुनागढ़ का अधिग्रहण, सिंचाई के पानी की पंजाब में कटौती तथा सैनिक साजो–सामान को रोकना, नई दिल्ली में कश्मीर के महाराजा द्वारा कश्मीर के भारत में विलय की प्रार्थना की स्वीकारोक्ति तथा उसके नियन्त्रण हेतु अपने सैनिक दस्ते भेजने से भारत की पाकिस्तान के प्रति शत्रुता स्पष्ट हो गई। भारतीय विदेश नीति को भी पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को राष्ट्र परिवार से पृथक करने तथा पाकिस्तान के विखण्डन के लक्ष्य के रूप देखा। उनकी दृष्टि में भारत दूसरे दरवाजे पर सशक्त तथा स्वतन्त्र मुस्लिम राष्ट्र के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने सार्वजनिक रूप से भारत विभाजन, पाकिस्तान की सार्वभौमिकता तथा स्वतन्त्रता को स्वीकारा था। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि भारत–पाकिस्तान के सम्बन्धों में वैचारिक मतभेद रहा है। इसके अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों का एक महत्वपूर्ण कारक मानवीय दृष्टिगोचर होता है।

वास्तव में, ब्रिटिश इण्डिया का विभाजन एक दुखद त्रासदी हैं। भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों ने इसे बड़ी गहराई से उद्दीप्त किया, और दोनों देशों के बीच मतभेदों की एक चौड़ी खाई सामने आई। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तो इसे 'कश्मीर समस्या' से भी ज्यादा जटिल बतायां गौरतलब है कि 1957 ई0 के स्वतन्त्रता संग्राम में अंग्रेजो ने फूट डालो शासन करो' की नीति अपनाई। उनमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भिन्नता के बावजूद आपसी सौहार्द था। किन्तु कालक्रम के प्रवाह में उनकी बुनियादी विभिन्नताएं द्विपक्षीय टकराव का कारण बनीं और वह भारत में एक–दूसरे के विरोधी दृष्टिगोचर हुए और प्रकारान्तर में कुछ मुस्लिम नेताओं ने यहां तक कहा कि दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं और एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इस हेतु दोनों की उपासना पद्धति, दोनों के नायकों का एक दूसरे का विरोधी होने का उल्लेख किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि दो समुदाय मूलभूत अंतर के साथ आमने–सामने थे।

विस्थापन और पुनर्वास के प्श्चात दोनों देशों के मधुर सम्बन्धों में सबसे बड़ी बाधा शरणार्थी सम्पत्ति समस्या थी। विभाजन के फलस्वरूप पलायन करते हुए दोनों देशों के नागरिकों द्वारा अपना घर, सम्पत्ति, फैक्ट्री, भण्डार, दफ्तर आदि बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के छोड़ दिए गये तथा वे स्वयं दूसरे में शरणार्थी बन गये। इसी कारण भारत में बहुत सी ऐसी चल–अचल सम्पत्ति है जो पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों की है इसी तरह पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिक्खों की है, जो विभाजन के समय उन लोगों ने छोड़ी थी। इन सम्पत्तियों के हस्तांतरण का प्रश्न अत्यन्त कठिन था।

इस संदर्भ में उनकी सम्पत्ति का सही अनुमान तथा दोनों देशों द्वारा उसके समाधान हेतु उचित व्यवस्था दोनों के मध्य विवाद का कारण बना। इस समस्या को हल करने के लिए भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की कई बार बैठकें हुई परन्तु उनमें कोई सन्तोषजनक हल नहीं निकला। इसलिए पण्डित नेहरू ने परिस्थिति को सुधारने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री लियाकत अली खाँ से एक समझौता किया। जो नेहरू–लियाकत अली पैक्ट, 1950 कहलाता है, यह दोनों देशों के बीच 8 अप्रैल, 1950 ई0 को सम्पन्न हुआ। इस हेतु दोनों देशों के प्रधानमन्त्री 2 अप्रैल, 1950 ई0 को दिल्ली में मिले, और मामले पर विस्तार से चर्चा की, यह मुलाकात छः दिनों तक चली तत्पश्चात् 8 अप्रैल को दोनों नेताओं ने एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए जो कि बाद में नेहरू–लियाकत अली पैक्ट 1950 कहलाया।

भारत–पाकिस्तान के मध्य नहरी–पानी वितरण विवाद गम्भीर रूप धारण कर चुका था। सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता के साथ–साथ इसका एक कारण कश्मीर पर पाकिस्तान की कुदृष्टि थी। पाकिस्तान का तर्क था कि पाकिस्तान में बहने वाली तीन नदियां सिन्धु, झेलम और चिनाव का उद्गम स्थल कश्मीर में है, पाकिस्तान की कृषि सिंचाई पर निर्भर करती है इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान का अंग होना चाहिए। यदि कश्मीर में कोई अमैत्रीपूर्ण सरकार बनती है जो पाकिस्तान में पानी नहीं आने देती तो उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी अतः इन नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए बहुमूल्य है। इस सम्बन्ध में भारत का तर्क था कि वास्तव में केवल झेलम कश्मीर से निकलती है सिन्धु और सतलज का उद्गम चीन में होता है, इसके अतिरिक्त यह ध्यान देने योग्य है कि देशों की सीमाएं कभी भी नदियों के स्रोत के आधार पर तय नहीं की जाती, यूरोप में अनेक ऐसी नदियां है जो कि विभिन्न देशों में होकर बहती हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए यद्यपि 1947–48 ई0 में निश्चित अस्थाई अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये एक और 1948 ई0 से 1952 ई0 तक के अन्तराल में वार्ताओं के कई दौर इस विवाद को सुलझाने के लिए चले लेकिन कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला। इसी मामले में अमेरिका के एक विशिष्ट विशेषज्ञ डेविड लिलिथेन्थल ने 1951 ई0 में भारत का दौरा करके बताया कि सिन्धु नदी तट तक 20 प्रतिशत से भी कम भाग प्रयोग में लाया गया है तथा इस नदी के संग्रह क्षेत्र में से गुजरता हुआ छः नदियों का यह पानी बिना प्रयोग किये ही अरब सागर में गिर जाता है। अतः उसने इस समस्या को राजनैतिक स्तर से हटाकर तकनीकी एवं व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी और इसके लिए विश्व बैंक से मद्द लेने की सिफारिश की। 1 सितम्बर, 1951 ई0 में इस बैंक के अध्यक्ष ब्लैक ने मध्यस्थता करना स्वीकार कर लिया तथा इस क्षेत्र के बारे में अपनी विस्तृत योजना प्रस्तुत की।

भारत ने विश्व बैंक की योजना को 25 मार्च, 1954 ई0 को स्वीकार कर लिया परन्तु पाकिस्तान ने कुछ आपत्तियां बताईं यद्यपि इस योजना के अनुसार भारत को केवल इस क्षेत्र में बहने वाले पानी का कुल 20 प्रतिशत ही प्राप्त होना था जो इसकी सिंचाई योग्य 26 मिलियन एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त नहीं था। परन्तु दूसरी ओर पाकिस्तान को 80 प्रतिशत पानी प्राप्त होना था जिससे वह 39 मिलियन एकड़ भूमि सींच सकता था। इस विवाद से उप्पन्न मतभेदों का अन्त करने हेतु एक सन्धि 19 सितम्बर, 1960 ई0 को भारत के प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खाँ और विश्व बैंक के उपाध्याय आरम्भ किया। इस सन्धि ने लम्बे समय से चले आ रहें विवादों का एक मित्रवत् और प्रतिष्ठित हल प्रस्तुत किया। परन्तु सिन्धु जल सन्धि होने के पश्चात् भी भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण की समस्या एक मतभेद का विषय बनी रही अब यह विवाद बुनियादी तौर पर गंगा जल वितरण को लेकर था। वास्तव में गंगा की 80 प्रतिशत धारा भारत में और 20 प्रतिशत पूर्वी पाकिस्तान में जाती थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत व बांग्लादेश के मध्य 29 सितम्बर, 1977 ई0 को एक समझौता हुआ जिसे ''फरक्का समझौता'' कहते हैं। परन्तु यह समझौता समस्या का स्थाई समाधान न होने के कारण इसे 1982 ई0 के समझौते के द्वारा रद्ध कर दिया गया।

कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए उठाए सभी कदम विफल हो चुके थे और भारत–पाक सम्बन्धों की कटुता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी जिसका उग्र परिणाम कच्छ के रण में परिलक्षित होता है। कच्छ का रण पुराने गुजरात राज्य (अब भारतीय राज्य) तथा पुराने सिन्ध राज्य (अब पाकिस्तानी क्षेत्र) के मध्य एक सीमा रेखा निश्चित करता है। पकिस्तान का मानना था कि 24 अक्षांश के उत्तर में

3500 वर्ग मील का यह क्षेत्र पुराने सिन्ध प्रदेश के अन्तर्गत आता है अतः भारत के विभाजनोपरान्त यह क्षेत्र पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। दूसरी ओर भारत सरकार का कहना था कि 1947 ई0 में कच्छ राज्य का विलय कच्छ के राजा की इच्छानुसार भारत के साथ हुआ तो यह क्षेत्र भारतीय गणराज्य की योजना बना ली। 3 मार्च, 1965 ई0 से पाकिस्तान ने नियमित सेनाएं भेजकर प्रत्यक्ष आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। 8 अप्रैल, 1965 ई0 को भारत ने पाकिस्तान द्वारा बलात् प्रवेश का विरोध किया। कच्छ का यह युद्ध 9 अप्रैल, 1965 ई0 से 30 जून, 1965 ई0 तक चलता रहा। 2 जून, 1965 ई0 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रमण्डल के सम्मेलन में भाग लेने हेतु लंदन पहुंचे जहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री विल्सन के सद्प्रयत्नों से दोनों देश युद्ध विराम करने के लिए तैयार हो गये। 30 जून, 1965 ई0 को दिल्ली में दोनों के मध्य एक समझौता सम्पन्न हुआ जिसे 'कच्छ समझौता' कहा जाता है।

वास्तव में कच्छ के रण का संघर्ष पाकिस्तान द्वारा भारत के विरूद्ध मान एक पूर्वाभ्यास था। पाकिस्तान राष्ट्रपति अय्यूब खाँ ने कश्मीर पर आक्रमण करने हेतु मुजाहिदों की बटालियान गठित करने के आदेश दिए। 4 अगस्त, 1965 ई0 को पाकिस्तानी मुजाहिदों ने कश्मीर में घुसपैठ की किन्तु एक प्रमुख घुसपैठ 5 अगस्त को हुई। 5 अगस्त को पाकिस्तानी मुजहहिदों ने नागरिकों की पोशाक में युद्ध विराम रेखा पार कर भारतीय कश्मीर में प्रवेश किया। इनके पास पाकिस्तानी हथियार थे। मुजाहिदों के समर्थन तथा कश्मीर समस्या के विकृत चित्रांकन हेतु मुजफ्फराबाद के निकट सदा–ए–कश्मीर रेडियो स्थापित किया गया। यह युद्ध विराम रेखा 1948 ई0 के भारत–पाक युद्ध के फलस्वरूप अस्तित्व में आई थी। ताशकन्द समझौते में कहा गया कि दोनों देश आपसी विवाद के निपटारे के लिए युद्ध का त्याग करते हैं और भविष्य में समस्याओं के शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों के प्रति सम्मान दर्शातें हुए परामर्श का अवलम्बन करेंगें दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्री भावना प्रदर्शित करेंगे तथा पारस्परिक सम्बन्धों को बिगाड़ने वाला कोई कदम नहीं उठाएगें। इस प्रकार ताशकन्द में हुए शान्ति समझौते से दोनों देशों के सम्बन्ध सामान्य होने की आशा जगी। किन्तु ताशकन्द प्रलेख पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी, 1966 ई0 को भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री का निधन हो गया और गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमन्त्री बने। सीमान्तों पर पाकिस्तानी सैनिकों की उथल–पुथल जुलाई–अगस्त 1966 ई0 में फिर शुरू हो गई। 31 मार्च, 1969 ई0 को पाकिस्तान के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। पाकिस्तान की राजनीतिक हलचल और अय्यूब खाँ के विरोध में जन आन्दोलन ले इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि अय्यूब खां को राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देना पड़ा। उनकी जगह याहिया खाँ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। 7 दिसम्बर, 1970 ई0 को पाकिस्तान में चुनाव सम्पन्न हुआ। पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्ता की समर्थक शेख मुजीबुर्रहमान की आवामी लीग ने 169 लड़ी गई सीटों में से 167 सीटें जीतकर 313 सदस्यीय राष्ट्रीय असेम्बली में निरपेक्ष बहुतम प्राप्त किया था और पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पश्चिमी पाकिस्तान में सशक्त स्थिति प्राप्त की किन्तु वे राष्ट्रीय असेम्बली में बहुमत नहीं प्राप्त कर सकें।

5 दिसम्बर, 1971 ई0 को पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय ठिकानों पर हमले किए। भारतीय सेना के तीनों अंग भी सक्रिय हो उठे और 14 दिनों के भीतर ही पाकिस्तानी सेना को ढाका से खदेड़ दिया गया। इस युद्ध में चीन ने भारत की डराने धमकाने का प्रयत्न किया तो अमेरिका ने अपने युद्धपोत को बंगाल की खाड़ी में भेजकर भारत के भयादोहन (Blackmail) की कोशिश की। परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी के दृढ़ संकल्प, साहस और नेतृत्व के सामने ये सब कुटिल प्रयत्न विफल हो गये। 16 दिसम्बर, 1971 ई0 को पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपने 93 जहार सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो याहिया खां के उत्तराधिकारी के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी से परामर्श करने हेतु शिमला पहुंचे। 1971 ई0 में हुए युद्ध की त्रासदी से आए भारत–पाक सम्बन्धों में मतभेदों को कम करने के लिए भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति श्री जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा 2 जुलाई, 1972 ई0 को ऐतिहासिक शिमला समझौते श्री जुल्फिकार किये गये।

इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने फैसला लिया कि दोनों पक्ष आपसी वार्ता के द्वारा अपनी समस्याओं का हल करेंगे तथा एक दूसरे के विरूद्व बल प्रयोग नहीं करेंगे। एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे और न ही एक दूसरे के प्रति घृणित प्रचार करेंगे। आपसी सम्बन्धों में समानता लाने के लिए दोनों राष्ट्रों के बीच डाक तार सेवा, जल–थल वायु मार्गो द्वारा पुनः संचार व्यवस्था स्थापित की जायेगी। दोनों ही देशों के नागरिक ओर निकट आऐं इसलिए नागरिकों को आने–जाने की सुविधाएं दी जायेंगी। जहां तक सम्भव हो सके व्यापारिक एवं आर्थिक मामलों में सहयोग का सिलसिला शीघ्र प्रारम्भ होगा तथा विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी आदान–प्रदान बढ़ाया जायेगा। स्थायी शान्ति कायम रखने के लिए दोनों देशों की सरकारों ने फैसला लिया कि भारत वह पाकिस्तान की सेनाएं अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में लौट जायेंगी तथा दोनों देश बिना एक दूसरे को क्षति पहुंचाए जम्मू कश्मीर में 17 दिसम्बर, 1971 ई0 को हुए युद्ध विराम के फलस्वरूप नियन्त्रण रेखा को मान्य रखेंगे। इस प्रकार शिमला समझौते से भारत–पाकिस्तान के द्विपक्षीय सम्बन्धों को नया आयाम मिला।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सार स्वरूप कहा जा सकता है कि 1947 ई0 से 1972 ई0 के कालखण्ड के बीच मनोवैज्ञानिक, जनसांख्यिकीय, संसाधनीय तथा भू–प्रादेशिक व क्षेत्रीय कारक दोनों देशों के सम्बन्धों में मतभेदों के बुनियादी व पारम्परिक कारक रहे जिनके समाधान की दोनों देशों की सरकारों ने चेष्टा की है। भारत और पाकिस्तान दोनों को रेल, सडक और समुद्र मार्गों के माध्यम से वस्तुओं के आवागमन की अनुमति देनी चाहिए। बाघा सीमा पर दोनों के मध्य सत्रडक मार्ग से व्यापार को अनुमति दी जानी चाहिए, परन्तु दोनों राष्ट्रों के मध्य व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में मधुर संबंध तभी स्थापित हो सकता है जबकि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाई जाय। सेना का नियंत्रण सदैव से पाकिस्तान की सरकार पर रहा है और पाकिस्तानी सेना ने सदैव भारत विरोधी रूख अपनाया है और सदैव भारत को अंधेरे में रखने का प्रयास किया है जैसा कि लाहौर घोषणा पत्र का उल्लंघन कारगिल संघर्ष के माध्यम से किया और आगरा शिखर वार्ता की विफलता का कारण भी जनरल मुशर्रफ पर सैनिक अभियान का प्रभावी होना ही था।

भारत और पाकिस्तान ने धीरे–धीरे सावधानीपूर्वक आपसी संबंधों को सुधारने के लिये साधन अपनाये है जिसे पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने 6 जुलाई 2004 को स्टॉकहोम में टू–ट्रैक रणनीति का नाम दिया है, जिसके अन्तर्गत सभी द्विपक्षीय विवादों विशेष रूप से कश्मीर विवाद को सुलझाने की कोशिश, सी.बी.एम. एस. (CBMs) की शुरूआत कर आपसी तनाव को कम करने का प्रयास किया। अनेक कारणों से भारत–पाकिस्तान वार्ता पुनः प्रारंभ करने के लिये विवश हुये है क्योंकि दोनों ही देशों की जनता, दोनों देशों के मध्य स्थित स्थायी शीतयुद्ध से तंग आ चुकी है। 90 के दशक से कश्मीर को भारत से अलग करने के उद्देश्य से पाकिस्तान भारत में सीमापार आतंकवाद को बढावा दे रहा है जिससे उसे काफी जानमाल की हानि हो रही है। नवम्बर, 2004 में भारतीय प्रधानमंत्री ने जम्मू–कश्मीर से सेना कम करने की बात

कही, जिसका सकारात्मक उत्तर पाकिस्तान ने भी दिया। हम आशा करते है कि भारत और पाकिस्तान आगे भी इसी तरह द्विपक्षीय वार्ता को जारी कर धीरे–धीरे आपसी संबंधों की कटुता को खत्म करने में सफल हो सकेंगे।

अन्य क्षेत्रों से संबंध बढाने के उपाय

- दोनों देशों के तटरक्षकों के बीच सुदृढ संबंधों की स्थापना करनी चाहिए।
- लाहौर घोषणा पत्र का प्रभावकारी कार्यान्वयन होना चाहिए।
- दोनों देशों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए।
- दोनों देशों को लंबित मामलों का शीघ्र निवारण कर लेना चाहिए।
- नागरिकों के स्तर पर दोनों राष्ट्रों में संपर्क का विस्तार होना चाहिए।
- क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सहयोग का विस्तार करना चाहिए।
- दोनों देशों को वायु तथा रेल संपर्क का विस्तार करना चाहिए।
- दोनों देशों में खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए।
- दोनों देशों के मध्य क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व का प्रयास करना चाहिए।
- दोनों देशों के मध्य स्कूल स्तर से विश्वविद्यालय तक स्वच्छ वातावरण में खेल प्रतियोगितायें, वाद–विवाद प्रतियोगिताएं एवं सेमिनारों का आयोजन करवाना चाहिए।
- दोनों देशों को एक–दूसरे के यहां अपने–अपने कुटीर एवं लघु उद्योग, हस्तशिल्प मेले तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करवाना चाहिए।
- दोनों देशों को सीमा पार संपर्क के और विकल्प की तलाश करनी चाहिए।
- दोनों देशों को अपने प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करना चाहिए और सरकार को बेरोजगारी दूर करने के उचित कदम उठाना चाहिए जिससे आतंकवाद जैसी समस्या का निवारण किया जा सकता है।
- दोनों देशों के लोगों को जाति व्यवस्था, धर्म, लिंग, भाषा आदि से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। जिससे दोनों के बीच नजदीकियां बत्रढेगी और संबंध में भी सुधार आयेगा।
- दोनों देशों को आपसी सहयोग से एक रेलवे अनुसंधान केन्द्र एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाय। यह संपूर्ण विश्व के लिए एक उपहार साबित होगा।
- स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच एक बडी परियोजना शुरू की जाय।
- दोनों देशों को आपस में कला और संस्कृति का आदान–प्रदान करना चाहिए। कला के क्षेत्र में सूचना, पेशेवर विशेषज्ञों, प्रशिक्षण और प्रदर्शकों को आदान–प्रदान के जरिये सहयोग को बढावा दिया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. दीक्षित, जे0 एन0, भारतीय विदेशनीति, भारत प्रकाशन दिल्ली, 2004।
2. गौतम, बी0 पी0, भारतीय विदेशनीति, कलर प्रिंट प्रकाशन दिल्ली, 2002।
3. गांधी, इन्दिरा, भारत और विश्व, काशी प्रसाद मिश्र सम्पादक भारत की विदेशनीति, मैकमिलन कं0 ऑफ इण्डिया मिमिटेड, नई–दिल्ली, 1969।
4. जगमोहन, कश्मीर : दहकते अंगारे, एलाइड पब्लिशर्स लि0, नई दिल्ली, 1994।
5. जुगरान, रवीन्द्र, रक्त रंजित कश्मीर, ज्ञान गंगा प्रकाशन, चावड़ी बाजावर, दिल्ली, 2001।
6. खन्ना, वी0 एन0, एवं अरोड़ा, लिपाक्षी : भारत की विदेशनीति, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा0 लि0, नई दिल्ली, 2000।
7. कोली, सी0 एम0, प्रमुख देशों की विदेश नीतियां, साहित्यागार प्रकाशन, जयपुर, 2000।
8. मिश्र, कृष्ण कुमार, भारतीय उपमहाद्वीप के प्रति, संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण, कलासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1992।
9. प्रेमदेव, जे0 पी0 एवं मिश्र, कृष्ण कुमार, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, शलभ प्रकाशन, मेरठ, 1993।
10. पन्त, पुष्पेश एवं जैन, श्री पाल, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, मीनाक्षी प्रकाशन, 2006।
11. प्रसाद, ईश्वरी, अर्वाचीन भारत का इतिहास, इण्डियन प्रेस पब्लिकेशन प्रा0 लि0, इलाहाबाद, 1986।
12. राव, एम0 चेलापति, आधुनिक भारत के निर्माता : जवाहरलाल नेहरू, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत नई दिल्ली, 2004।
13. शुक्ल, आर0 एल0, आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, 1989।
14. सर्राफ, बसन्त कुमार, भारत और आधुनिक विश्व, लोक चेतना प्रकाशन, जबलपुर, 2001।
15. उपाध्याय, तेजराम, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शान्ति, लोक–चेतना प्रकाशन, जबलपुर, 1963।